

## कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार,

संख्या - प्राविधिक/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

तखाना: दिनांक: 09/08/2021

### कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. सरकार द्वारा सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघट्ट हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्जेंटिल नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार- पाठ्यक्रम- प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता- सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सत्र को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित सर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

सत्र का कोड एवं नाम : 1957-DR, B.P.S. COLLEGE OF PHARMACY BAKALPUR, SHAMSABAD, FATEHABAD, AGRA

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आर्०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु सर्तें

- ✓ सत्र ए०आर्०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी सर्तों का पूर्णतः पालन करेगा।
- ✓ सत्र उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों इतनी पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30150.00/-, प्रथम, दो वर्षों कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 45000.00/-, प्रथम एवं एक सत्र दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों कार्यालयी पाठ्यक्रम के अधीन) हेतु ₹ 22500.00/-, प्रथम शुल्क ही प्रवेश छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के समर्थन में समस्त-समय पर सत्रान्त द्वारा निर्गत किये जाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत होने, और तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु फीस का पूर्वनिर्धारण किया जात है, जो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ सत्र को (3000) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवली-2000 की सर्तों का अनुपालन करण होगा।
- ✓ सत्र में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जेंटिल सर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्रवाई की जाएगी।
- ✓ सत्र को समस्त-समय पर निर्गत दस्तावेजों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करण होगा।
- ✓ सत्र को ए०आर्०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अलगवाँ सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ सत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनये गये विधिविधियों, अधिनियमों/संशोधनों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा 2000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा बनये गये विधियों, विनियमों

आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ हिपथोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम की संस्था यदि पी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और वित्तीय रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रारंभिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई व्यय दायर किया जाता है तथा दायर व्यय के संबंध में मा. महापालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ हिपथोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेक्षित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अर्थात् संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशन विषयों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने बैंकवाइड पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्युत-प्रतिष्ठान हेतु उपर्युक्त वित्तव्यय उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर टोकन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघटित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कार्गो, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जाएगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय निरीक्षण टोशन यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०पी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अर्थात् शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनसम्बन्ध कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोहनकर)

सचिव

पू०सं०- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिशोधित-

प्रधानाचार्य/निदेशक DR. B.P.S. COLLEGE OF PHARMACY BAKALPUR, SHAMSABAD, FATEHABAD, AGRA



(सुनील कुमार सोहनकर)

सचिव



प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, DR. B.P.S. COLLEGE OF PHARMACY



(एफ0आर0 खान)

सचिव

## कार्यालय,

### सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या:- प्राथिच/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

तखनऊ- दिनांक: 12-09-2023

### कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संश्लिष्ट सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित हिन्दोलम राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ+ प्र+ तखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघट्ट हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संसदओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा तिए एवं निर्णय के अनुक्रम में संसदओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संसद को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ+ प्र+ तखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संघ का कोड एवं नाम : 1957-DR, B.P.S. COLLEGE OF PHARMACY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राथमिक शिक्षा, अनु-म-3 उत्तर प्रदेश सरकार के पर संख्या 311/16-3009/9/2022 टी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित संसद संस्थानों की लिये के विरुद्ध सार्वजनिक न्यायालय में फौजदारी प्रक्रिया संख्या 5027/2023 में सार्वजनिक न्यायालय के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संसद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मातक के अनुक्रम संसद में संसद संसदपत्र (पुस्तिका, भाषण, लेख उपकरण) भेदि उपलब्ध है।
- ✓ संसद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमसाली 1992, विनियमसाली-2000, सिमेन्टर विनियमसाली-2016 तथा संसद-संघ पर निर्णय सार्वजनिकों का अनुपालन करेगी तथा सुलभ निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सुलभ ही प्रवेश क्षमता प्रवेश के प्रदत्त किया जायेगा। उपरोक्त के अधिकाधिक छात्र/छात्राओं के सुलभ के सम्बन्ध में संसद संसद पर सार्वजनिक द्वारा निर्णय किये जाने वाले सार्वजनिक प्रश्नों को, और सद्गुणवत् सार्वजनिकी किये जाने आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश का पूर्णनिर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की सार्वजनिक दो सत्रु होगी।
- ✓ संसद में सलुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संसद को संसद-संघ पर निर्णय सार्वजनिकों के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता सुलभ जमा कराना होगा।

- ✓ संसदन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविनियमों/अधिविनियमों/संसददेखो/निर्देशों एवं विदेशिक, प्राथमिक शिक्षा, 2000, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा बतये गये विनियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संसदन का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यवाही काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संसद का होगा और शिक्षिक कर्म से किसी भी कार्यवाही के लिए संसद कर्म उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम दायर किया जाता है तब दायर कदम के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संसद को करनी होगी।
- ✓ संसदओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासनद्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अधोक्षित प्रदेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यवाही काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रदेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशन विनियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संसद को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर संसद की समस्त सूचनाएं जैसे संसद की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, बटन, साज-सज्जा, उपकरण, प्रदात किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संसद को शिक्षा-प्रौद्योगिक हेतु उपयुक्त कारागारण उपलब्ध करने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संसद यह सुनिश्चित हो ले कि संसद में प्रस्तावित/संचालित घटनाक्रम को चलते जाने हेतु निरीक्षण सचिव के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि, भवन, कार्पीयर, उपकरण इत्यादि का यदि संसद द्वारा किसी अन्य घटनाक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संसद उपयोग का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संसद की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संसदओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली, 2000 के प्रावधानानुसार परिषद की स्तर पर अपने कार्यवाही, भवनों और कार्पीयर को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संसद के अंतर्गत राष्ट्रीय निरीक्षण के दौरान यदि संसद में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आर0सी0टी0ई0/पी0सी0आर0टी0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संसद की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विनियमनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पु0सं0- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिरिपि.

प्रधानाचार्य/निदेशक, DR. B.P.S. COLLEGE OF PHARMACY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव